संख्याः 48 /उन्तीस/06–2(25पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून ।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21 मार्च 2006

विषयःचालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में ग्रामीण जलसम्पूर्ति योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4417/अधि0पी0एफ0/2005–06, दिनांक 19.12.05 एवं पत्र संख्या 4916/वि0अनु0अनुदान/2005–06, दिनांक 07.01.1006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा संचालित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव हेतु उत्तराचल जल संस्थान को रू0 3,50,00,000(रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोजन द्वारा निम्न0 जनपदवार विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –:

क्र0सं0	जनपद	अवमुक्त की जा रही धनराशि (रू0 लाख में)
1.	नैनीताल	29.31
2.	उधमसिंह नगर	08.97
3.	अल्मोड़ा	26.25
4.	पिथौरागढ़	27.00
5.	बागेश्वर	21.60
6.	चम्पावत	22.47
7.	देहरादून	11.00
8.	पौड़ी	77.00
9.	टिहरी	52.25
10	उत्तरकाशी	31.44
11.	रूद्रप्रयाग	26.21
12.	चमोली	16.50
	योग :–	350.00

क्रमशः– 2

2. ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के रखरखाव का कार्य सम्बन्धित जनपद में जल संस्थान की सम्बन्धित इकाईयों द्वारा किया जायेगा। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनैन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय। निमार्ण कार्य पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एंव वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान के हस्ताक्षर एंव जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी । धनराशि आहरण के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर जनपदीय अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुऐ इसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय । धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2006 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. भविष्य में रखरखाव मद में धनराशि तभी स्वीकृत की जायेगी जबकि इस मद में पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मदवार/योजनावार/जनपदवार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

5. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका ,स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कुटेशन विषयक नियम तथा अन्य तद्विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

6. अनुरक्षण में सेन्टेंज शासन द्वारा अनुमोदित 12.5 प्रतिशत की दर से ही लगाया जायेगा ।

7– व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

8. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति –आयोजनागत –102 ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–91–जिला योजना–01–ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजना– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे के नामे डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या – 290/XXVII(2)/2006 दिनांक 13 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमशः–3

संख्या 48 (1)/उ॰पी॰रा(2)06 2(25पे0)/2006, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1.महालेखकार,उत्तराचंल ,देहरादून ।

2.मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमॉयू

3.समस्त जिलाधिकारी,उत्तराचंल ।

4.वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

5.प्रबन्ध निदेशक,उत्तराचंल पेयजल निगम,देहरादून ।

6.अध्यक्ष,उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।

7.वित्त अनुभाग—2/बजट सैल /नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराचंल शासन ।

8.निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन

9.आयुक्त ,ग्राम्य विकास,उत्तराचंल शासन,देहरादून ।

10.निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशलय,देहरादून ।

11.निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर ,देहरादून ।

12.महाप्रबन्धक,उत्तराचंल जल संस्थान, कुमॉयू/गढ़वाल नैनीताल/पौडी

13.समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता,उत्तराचंल जल संस्थान।

आज्ञा से

(कुंवर सिंह)

अपर सचिव

(रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलपूर्ति तथा सफाई 02–मल निकासी एवं सफाई 107–मल निकासी सेवायें। 01–केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 03–गंगा कार्ययोजना (द्वितीय चरण) 20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 50000	–	–	50000(क)	2215–जलपूर्ति तथा सफाई 01–जलपूर्ति–आयोजनागत 102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम 91– जिला योजना 01–ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाएं 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 35000(ख)	385000	15000	(क) केन्द्र से धनराशि सीधी विभाग को प्राप्त होने के कारण (ख)योजनाओं के रख–रखाव हेतु वास्तविक आवश्यकता के कारण
योगः– 50000	–	–	50000	35000	385000	15000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या-290 (क) XXVII-(2) /2006
देहरादून : दिनांकः 13 मार्च 2006

पुर्नविनियोग स्वीकृत
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव वित्त

सेवा में
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्या 48 (क)/उन्तीस/06–2–(25पे0)/2006, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी,देहरादून। 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी,देहरादून।

आज्ञा से
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव